

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुकम

25/3/25 फावली आज शर्चना पत्र  
 शर्चा/वादी के निवेदन पर दि. 28/3/25  
 से तलख होकर चेरा डुरी। स्वयं वादी  
 व वादी वकील के द्वारा एक शर्चना  
 पत्र चेरा कर निवेदन किया की  
 प्रकरण में राजीनामा हो गया है  
 जिससे वे प्रकरण को आगे नहीं  
 चलाना चाहते हैं। स्वयं वादी व  
 वकील वादी के निवेदन पर प्रकरण  
 विद्रो कर खारिज किया जाता है।  
 फावली तलख से कम होकर  
 बाद उक्त जमा लेख मन्जूर  
 है।

उपरोक्त हुकम  
 दि. 25/3/25

UD

हो दिनांक 25/3/25  
 राजगढ़ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 राजगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख  
हुक्म

21/02/25  
पीठाधीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 14/02/25  
को पेश हो।

रीडर

14/02/25  
पीठाधीन अधिकारी अन्य कार्यों में  
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 28/3/25  
को पेश हो।

रीडर

रुशिक कुमार शर्मा  
I.P. 3/25/25

25/3/25 पत्रावली मुलवाप के साथ  
दि. 28/3/25 से तलब होकर पेश  
हुई। इस मुलवाप के विज्ञापन का  
श्वारीज होने के कारण उपनिषद  
212 भी विज्ञापन का श्वारीज किया जाया  
है। हाजा - न्यायालय के पूर्व आदेश  
दि. 6/2/25 के इसी स्तर पर श्वारीज  
किया जाता है।  
पत्रावली नम्बर से  
कम होकर मुलवाप उपनिषद के साथ  
सलगन होकर जमा है।

500